नायब सैनी ने 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली

■ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, नड्डा, मनोहर लाल, धर्मेन्द्र प्रधान, पासवान, जीतन राम माझी व राजीव रंजन सिंह मौजूद रहे।

पंचकुला, 17 अक्टूबर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को लगातार दूसरी बार गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 11 कैबिनेट मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढ ांडा, विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी तथा आरती सिंह राव शामिल हैं।

इनके अलावा, राजेश नागर तथा गौरव गौतम ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली।

दशहरा मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने शिरकत की।

समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, गुजरात के आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल के सी. वी. आनंद बोस, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले), त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भाजपा शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की अधिकांश सीटों पर सहमति बनी

मुबंई, 17 अक्टूबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान का आयोजन किया जाएगा। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती का जाएगी। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेंच अब भी फंसा हुआ है। इसी मामले में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई, जो अब खत्म हो चुकी है।

■ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार 263 सीटों पर सहमति हो चुकी है, मात्र 25 सीटों पर चर्चा बाकी है।

कल महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। बता दें कि यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की तैयारियों से जुड़े कुछ सवालों को लेकर मुलाकात करेगा। आज की बैठक को लेकर एन.सी.पी. शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने बयान दिया है।अनिल देशमुख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सिर्फ 10 फीसदी सीटों पर ही चर्चा बाकी है।

बी.सी.आर. व बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस गणेश राम मीना की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवाडी की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अभियान-2023 के तहत महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया। जिसके तहत संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 सितंबर को अदिति चौधरी बनाम बार कौंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार कौंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया कि वह बार कौंसिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखें।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने भी बी.सी.आर. को महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 28 अगस्त को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पद पर महिला नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बी.सी.आर. में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पद पर कभी भी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई। इसलिए बी.सी.आर., हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर सहित, अन्य जिला बार एसोसिएशनों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बार कौंसिल सहित संबंधित एसोसिएशनों से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संजीव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और एक साल बाद यहां स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था।

परंपरा है कि मौजूदा सी.जे.आई. अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है।

सी.जे.आई. चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ ाया गया है, हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा।

64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं।

शेख हसीना के खिलाफ अरैस्ट वॉरंट जारी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने वारंट जारी कर दिया दिया है। बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप के तहत, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।

■ बांग्लादेश के इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा 45 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है।

हसीना को 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है।

ऐसे में अब बड़ा सवाल भारत की प्रतिक्रिया को लेकर है। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं।

कोटा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किराए पर रह रहा था, उसी मकान में उसकी बुआ की लड़की भी रहती थी। बुधवार रात को 8.30 बजे जब वह आशुतोष को खाने के लिए बुलाने गई, तब उसे पूरे घटनाक्रम का पता चला। इसके बाद उसने पीजी मालिक को इन्फॉर्म किया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया गया कि छात्र तीसरी बार नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने बीते साल 2023 में भी कोटा में रहकर तैयारी की थी। इस साल भी वह चार-पांच महीने पहले ही कोटा आया था। जिस पीजी में छात्र आशुतोष रहता था, उसमें सुसाइड प्रिवेंशन रॉड (एंटी हैंगिंग डिवाइस) नहीं थी, जबकि जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल्स और पीजी संचालकों को यह डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हुए हैं। प्रशासन ने यह भी दावा किया था कि वह हर एरिया का सर्वे करवाएगा। हर पीजी व हॉस्टल की जांच भी करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

भारत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगातार इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि उसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए कैनडा ने यह आरोप लगाया था। भारत के पूर्व राजदूत अजय बिसारिया ने कहा कि टूडो के बदले रुख से भारत को दोनो देशों के बीच रचनात्मक संवाद बढ़ाने का अवसर मिला है।

टूडो के पीछे हटने से अमेरिकन प्रभाव के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों की जटिलता भी पता लगती है। इस प्रकरण का कैनडा और भारत पर असर पड़ेगा। पर इससे टूडो कमज़ोर होंगे या मजबूत यह देखा जाना बाकी है।

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डी.जी.पी. ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद दो स्पैशल इन्वैस्टिगेटिंग टीम गठित की गई हैं।

एक सैटअप स्थानीय स्तर पर अपराधिक तत्वों के लिप्त होने का पता लगाएगा तथा दूसरी एस.आई.ई.टी. इस घटना व इससे पहले हुई घटनाओं की जांच करेगी। उसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

एक लिकर माफिया का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी ऐसे कांड में लिप्त रहा है। राज्य के शराबबंदी मंत्री रत्नेश साडा ने कहा था कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर शराब माफिया को खत्म कर देंगे, पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यह घटना उस कानून की विफलता नहीं है, तो मंत्री महोदय भड़क गए और कहा कि "मूर्खों जैसी बात मत करो। मैं अपने घर के अंदर कुछ करता हूँ तो स्थानीय पुलिस थाने को इसका पता कैसे लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ।"

नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे लम्बे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री है - ने लोगों से कहा कि वे उन लोगों के प्रति सचेत रहें, जो आम जनता को शराब पीने के लिए उकसाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी

उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा, धारा 6ए अवैध प्रवास का विधायी समाधान है

■ नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जो लोग 1 जनवरी 1966 तथा 25 मार्च 1971 के बीच भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें भारत के नागरिक के रुप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति है।

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6-ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को बहुमत के फैसले से खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बहुमत के विचार से असहमति जताई।

मुख्य न्यायाधीश ने फैसले का अंश पढ़ ते हुए कहा कि प्रावधान के उद्देश्य को बंगलादेश युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। संविधान पीठ की ओर से उन्होंने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6ए विधायी समाधान है। उन्होंने कहा कि धारा 6-ए मानवीय चिंताओं और स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू की गई थी।

रेल आरक्षण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

सूत्रों के अनुसार, ए.आर.पी. को 60 दिन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि अनुरक्षण कार्य के लिए प्लानिंग में आसानी हो। 120 दिन के ए.आर.पी. में यात्री कम और दलाल ज्यादा बुकिंग करते हैं। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्री यात्रा नहीं करते हैं और टिकट रद्द करना भूल जाते हैं। इससे जरूरतमंद यात्रियों को सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सूत्रों ने कहा कि पहले ए.आर.पी. 60 दिन का ही था। इसको 120 दिन करने का फैसला 31 मई 2020 को किया गया था।

लंदन में मुख्यमंत्री का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(नैरोबैंड आर.एफ. मेश नेटवर्क विकसित करने में दुनिया की अग्रणी कंपनी), जे.सी.बी. (जो कंस्ट्रक्शन और इंडिस्ट्रियल उपयोग वाले वाहन बनाती है और जिसकी राजस्थान में मैनुफैक्चरिंग यूनिट है) और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात शामिल है।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने वॉण्डरलस्ट (जो इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है) के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, एक निवेशक रोड शो में हाल ही में स्वीकृत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024 नीति को भी लॉन्च किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल आज शाम (लंदन समयानुसार) प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ने और मातृभूमि के साथ उनके संबंधों को जीवंत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश और नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करने का भी अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा इंग्लैंड दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स (बी.आई.पी.) के आयुक्त रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

महाराष्ट्र व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आनन्दीबेन पटेल, जो प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीक मानी जाती हैं, को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर पाँच साल से ज्यादा समय हो गया। जो राज्यपाल अपने पद पर तीन साल से अधिक समय से आसीन हैं, उनमें शामिल हैं- गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय तथा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। इन पदों पर भी बदलाव संभावित है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्यपालों की फेरबदल की घोषणा महाराष्ट्र एवं झारखंड के चुनाव-परिणामों की घोषणा के बाद की जायेगी।

72198 21111 | BAJAJ SECURE | pine labs PAY LATER | HDFC BANK INSTANT CASHBACK UP TO ₹ 5 000 ON CREDIT CARDS*

*नियम और शर्तें लागू. *ऑफ़र्स केवल चुनिंदा वैरिएंट्स पर ही उपलब्ध. ऑफर 15 नवंबर 2024 तक ही वैध. बजाज ऑटो के पास बिना पूर्व सूचना के किसी भी या सभी ऑफ़र्स को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है. मॉडल पर निर्भर करते हुए ₹10,000 तक की *बचत में ₹5000* तक का कैशबैक और ₹5000* एचडीएफसी कार्ड कैशबैक शामिल है. स्टंट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोफ़ेशनल सुपरविजन के तहत, आम जनता या आम रास्तों से हट कर नियंत्रित और बंद सीमित वातावरण में किए गए हैं. कृपया इन स्टंट्स की नकल करने का प्रयास न करें और हर समय ट्रैफ़िक तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें. एमसी विशेष मॉडल्स और विशेष राज्यों में ही उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए बजाज डीलर से संपर्क करें. रोड साइड सहायता अन्य पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और वह उनके नियम और शर्तों के अधीन होती है. कैशबैक ऑफ़र एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के ईएमआई ट्रांजेक्शन्स पर केवल पाइन लैब्स मशीन्स पर ही 15 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध है. ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पर ऑफ़र्स उनके नियम और शर्तों के अधीन हैं.

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Kota: YADAV BAJAJ 9358600261 • KAMAL AUTO BAJAJ 9929388846 • Baran AGRAWAL BAJAJ 9982642571 • Jhalarapatan KAUSHAL BAJAJ 9784702484 • Bundi PRASHANT BAJAJ 8094922777. Authorised Service Centre: Rawatbhatta 9414328686 • Atru 9413633423 • Sangod 9829080826 • Sultanpur 9413337444 •Kanwas: 9929388846 • Ramganj Mandi 9414206569 • Chhabbra 9928247205 • Chipabarod 9982642571 • Kelwara 9983457955 • Mangrol 9929969505 • Samraniya 9950507543 • Bakani 9784702484 • Bhawani Mandi 9829556200 • Panwar 9784702484 • Raipur 8875605457 • Sarola 9828848012 • Kapren 6375382471 • Lakheri 9829075553 • Kishor Rai Patan 9602042582 • Nainwa 9784576060 • Indergarh 9414177501 • Hindoli 9214832005 • Khatkar 9079633755 • Itawa 9414558075. • Morak 9929388846. • Sunel 9413364533. • Anta 7976064158 • Pirawa 9667541294 • Talera 9413337444.

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908